संख्या– 1338/सैंतालीस-का-1-2024/13(5)1998

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 14 नवम्बर, 2024**

विषयः- उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली,1956 (यथासंशोधित) के नियम-16 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-11200/2002 तुलसी स्मारक समिति व अन्य बनाम जिलाधिकारी, चित्रकूट व अन्य में दिनांक 30.05.2016 को आदेश पारित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली,1956 (यथासंशोधित) के नियम-16 का अनुपालन किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए जाने के आदेश दिए गए है, उक्त आदेश के मुख्य क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

"…..if any member of All India Service governed by Rules, 1968 claims protection with regard to his participation under Rule 13(2), compliance of rule in its entirety is mandatory and it has to be examined, whether report contemplated in proviso (ii) to Rule13(2) is being forwarded by such Go vernment servant regularly or not and, if not, what action has been taken by Competent Authorities in these matters. Let an inquiry be made by Chief Secretary, Government of U.P., Lucknow in this regard and appropriate action be taken against all erring officials.

Besides, State Government shall also issue a general direction across the State, directing all Government Officials that they should not be part and parcel of managing bodies of private bodies like non-government societies, trusts etc. in whatever capacity, contrary to the provisions of Rules, 1956. In respect of members of All India Service, Chief Secretary shall examine matter and see in how many cases where the matter is governed by Rule 13(2), previous sanction of Government has been obtained and if there is case of Rule 13(2) (d) or (e) of Rules, 1968,whether there is strict compliance of proviso (ii) or not and would take appropriate action in the matter. Chief Secretary shall submit a report in this regard within a period of six months from today."

2- उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली,1956 (यथासंशोधित) के नियम-16 में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं:-

"Rule-16 Registration, promotion and management of companies.

No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company registered under the Companies Act, 1956, or under any other law for the time being in force :

Provided that a Government servant may take part in the registration, promotion or management of a co-operative society registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Act, 1965 (U.P. Act XI of 1966), or under any other law for the time being in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860) or under any corresponding law in force, but he will not take part in, or associate himself with the collection of funds or raising subscriptions of selling shares or any other financial transaction of such society :

Provided further that, if a Government servant attends any bigger Co-operative Society or body as a delegate of any Co-operative Society, he will not seek election for any post of that bigger society or body. He may take part in such election only for purposes of casting his vote."

3- अतः मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 30.05.2016 के समादर में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली,1956 (यथासंशोधित) के नियम-16 के प्राविधानों को अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को संज्ञानित कराते हुए, उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिचित किया जाए। यह भी देखा जाए कि सरकारी सेवा के किसी भी कार्मिक द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य न किया जाए, जो उक्त नियम-16 के विपरीत हो। यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी उक्त नियम/व्यवस्था का उल्लघन करता हुआ पाया जाए, तो उसके विरूद्ध सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही भी की जाए।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव

संख्या-1338/सैंतालीस-का-1-2024/13(9)1998, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
एम0 देवराज
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in